

**भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।**

संख्या

/उ०ख०(ईनि)-V/भू०खनि०नि०/आशय पत्र-106/2025-28,

दिनांक 26 नवम्बर/2025
दिसम्बर, 2024

संशोधित विज्ञापितकरण कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय-4 के नियम-20 (1), (2) एवं (4) प्राविधानानुसार निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563/र०ख०लॉ०/ई०नी०/वि०का०ज्ञ०/भू०खनि०नि०/2023-24, दिनांक 22 अगस्त, 2023 के द्वारा अन्य क्षेत्रों के साथ जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील बालगंगा के ग्राम अगुण्डा, धर्मगंगा नदी, उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) के खाता संख्या 14 खसरा संख्या 912, कुल रकवा 0.384 है० मध्ये 0.200 है० राजस्व उपखनिज क्षेत्र एवं उपखनिज की मात्रा आर०बी०एम० 7200 टन को ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वारा उपनियम (2) में निर्धारित अवधि के लिए खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञापित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी तथा ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही के उपरान्त निदेशालय के पत्र संख्या 1313/खनन/भू०खनि०नि०/ई०नीला०-43/2024-25, दिनांक 11 जून, 2024 के द्वारा श्री देवेन्द्र सजवाण, निवासी-सेक्टर 5ए बौराडी, टिहरी गढ़वाल के पक्ष में जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील बालगंगा के ग्राम अगुण्डा, धर्मगंगा नदी, उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) के खाता संख्या 14 खसरा संख्या 912, कुल रकवा 0.384 है० मध्ये 0.200 है० राजस्व उपखनिज क्षेत्र में चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया।

सहायक भूवैज्ञानिक/प्रभारी खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या 518/भू०खनि०वि०-टि०ग०/ई-नि०/2025-26, दिनांक 30.10.2025 के साथ संलग्न उपजिलाधिकारी, घनसाली के पत्र संख्या 301/आर०ए०-2025(ई-निविदा), दिनांक 17.10.2025 एवं तत्संलग्न तहसीलदार बालगंगा की आख्या के द्वारा आशय पत्र पर स्वीकृत उक्त क्षेत्र में खसरा संख्या ज०वि०र० संख्या 14 खसरा नं० 912 के स्थान पर खाता खतौनी (ज०वि०र०) संख्या-4/61 के खसरा नं० 992 को संशोधन किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी आख्या के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563/र०ख०लॉ०/ई०नी०/वि०का०ज्ञ०/भू० खनि०नि० 2023-24, दिनांक 22 अगस्त, 2023 के द्वारा विज्ञापित उपखनिज लॉट जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील बालगंगा के ग्राम अगुण्डा, धर्मगंगा नदी, उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) के खाता संख्या 14 खसरा संख्या 912, कुल रकवा 0.384 है० मध्ये 0.200 है० के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र० स०	तहसील	ग्राम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (है० में)	भूमि की श्रेणी	मात्रा (टन में)	खनिज का प्रकार
जनपद उत्तरकाशी								
01	बालगंगा	अगुण्डा	धर्मगंगा नदी	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) के खाता संख्या 4/61, खसरा संख्या 992, कुल रकवा 0.384 है० मध्ये 0.200 है०	0.200	राजस्व	7200	आर०बी० एम०

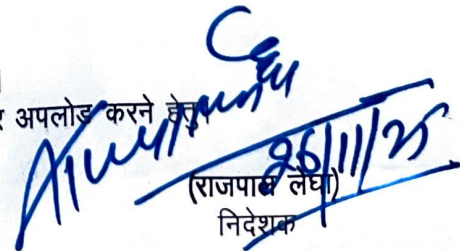
अतः निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563/र०ख०लॉ०/ई०नी०/वि०का०ज्ञ०/भू०खनि०नि०/2023-24, दिनांक 22 अगस्त, 2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष विज्ञापितकरण कार्यालय ज्ञाप यथावत् रहेगा।

(राजपाल लेघा)
निदेशक

संख्या 4985/उ०ख०(ईनि)-V/भू०खनि०नि०/आशय पत्र-106/2025-28, तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद टिहरी गढ़वाल।
5. नोडल अधिकारी, आई०टी०, भूतत्व एवं खनिकर्म को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(राजपाल लेघा)
निदेशक